न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं0 : 04/2017

1. मायावती पुत्री सुभाष आयु 7 वर्ष नाबालिग निवासी मलसीसर हाल निवासी महराना जरिऐ संरक्षक बलवीर पुत्र हरफुल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

– सायला

बनाम

1. माईसुख पुत्र मूला उर्फ मला जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. मंजु पत्नी विरेन्द्रसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी पचारवाली तहसील भादरा।
3. रामकुमार पुत्र माईसुख जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. प्रताप पुत्र माईसुख जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. रमेश पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. ओमप्रकाश पुत्र माईसुख जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
7. सुभाष पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।
9. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़।

– गैरसायलान

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री प्रेमप्रकाश झोरड़ : **सायला**
वकील श्री राजेन्द्र कालीरावण
: गैरसायल सं0 1 – 4, 5, 6, 7

निर्णय **दिनांक :** 27.2.19

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं गैरसायल सं0 1 के पुत्र ओमप्रकाश की पोत्री है व गैरसायल सुभाष की पुत्री है। गैरसायल सुभाष का विवाह प्रार्थीया की माता कविता के साथ हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार दिनाक 06.07.2006 को गांव महराना में सम्पन्न हुआ था। शादी के बाद सुभाष व कविता के नुत्फे से दिनांक 04.07.2009 का प्रार्थीया मायावती पैदा हुई। गैरसायल सुभाष व कविता ने दिनांक 23.09.2010 को अलग अलग रहने का निर्णय कर लिया एंव जिसकी एक लिखित उसी दिन तहरीर व तकमील की गई जिसमें गैरसायल सुभाष द्वारा यह लिखवाया गया था कि पक्षकारान के एक पुत्री मायावती एक वर्ष तक द्वितीय पक्ष कविता जो उसकी माता है उसके पास रहेगी व उसके बाद उसका भरण पोषण व समस्त सार सम्भाल की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी जो कि मायावती का पिता है।

अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.09.2010 को प्रार्थीया की माता को छोड़ने के बाद आज तक प्रार्थीया का सार संभाल नहीं की तथा प्रार्थीया को पुस्तैनी भूमि से वंचित करने की योजना बनाते रहे तथा बिल आखिर दिनांक 24.08.2016 को तथाकथित दान पत्र तहरीर व तकमील करवा दिया तथा राजस्व रिकार्ड में उसी अनुसार अंकन दर्ज करवा दिया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वाद भूमि रोही मौजा मलसीसर के वर्तमान खात सं0 187/192 के खसरा सं0 20 की 2.833, 195 की 0.253, 239/1 की 3.440, 432 की 1.581, 443 की 1.024, 821 की 5.235 है0 कुल 14.366 है0 बारानी खातेदारी गैरसायल माईसुख की खातेदारी हुआ करती थी जिसका गैरसायल माईसुख ने प्रताप पुत्र माईसुख, रमेश पुत्र प्रताप के नाम 4.7885 है0 व रामकुमार पुत्र माईसुख के नाम 4.7885 है0 गैरसायल मन्जु पत्नी विरेन्द्र के नाम से 4.789 है0 भूमि का तथाकथित दान पत्र निष्पादित करवाकर उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया। इसी प्रकार रोही मलसीसर के ही खाता सं0 261/268 के खसरा सं0 158 की 3.832 है0, 384 की 1.821, 384/728 की 2.125 है0 कुल 7.778 है0 बारानी भूमि जिसमें गैरसायल माईसुख वल्द मुला के नाम से 151–1/2 हिस्सा खातेदारी हुआ करती थी जो उसने प्रताप वल्द माईसुख के नाम से 50–1/2 हिस्सा, रामकुमार वल्द माईसुख के नाम 50–1/2 हिस्सा, मन्जु पत्नी विरेन्द्र के नाम से 50–1/2 हिस्सा का तथाकथित दान पत्र निष्पादित करवाकर उक्त भूमि भी राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज करवा दी गई। वादभूमि पुस्तैनी भूमि है जो कि सायला के परदादा माईसुख को उसके पिता मल्ला उर्फ मलु से प्राप्त हुई थी व मल्ला उर्फ मलु को उक्त भूमि उनके पिता से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वादभूमि पुस्तैनी दादालाई भूमि है तथा एक के बाद एक को विरासतन प्राप्त हुई है।

सायला व गैरसायलान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। मुताबिक हिन्दू मिताक्षरा सहदायकी सम्पति होने के कारण सायला का वादभूमि में जन्म से हक व हिस्सा निहित है लेकिन गैरसायल माईसुख ने सायला को उसके हक व हिस्सा से महरूम रखने के लिए बिना अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तरीके से अपने हिस्सा से अधिक कृषि भूमि के सम्बन्ध में नुमाईसी तौर पर एक दान पत्र दिनांक 24.08.2016 को तहरीर व तकमील करवा दिये। मुताबिक दान पत्र वादभूमि गैरसायला मन्जु व गैरसायल सं0 3 से 5 के नाम राजस्व रिकार्ड में दिनांक 20.10.2016 को जरिऐ इन्तकाल सं0 1469 के दर्ज हो गई जबकि माईसुख को उपरोक्त दान पत्र करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था। गैरसायल सं0 2 ने जो कि अप्रार्थी ओमप्रकाश की पुत्री है के नाम से 1/3 हिस्सा का दान पत्र तहरीर व तकमील करवाया है ताकि वह अपना हिस्सा गैरसायल सुभाष के पक्ष में छोड़ सके। केवल मात्र अप्रार्थीगण ने एक राय होकर बिना किसी लेन देन के दान पत्र दिनांक 20.08.2016 को मन्जु के पक्ष में तस्दीक करवाया है। मन्जु ने वादभूमि का कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है। वादभूमि के 1/3 हिस्सा पर आज भी सुभाष व ओमप्रकाश काबिज है इसलिए प्रार्थीया वादभूमि में अपने हिस्सा तक हुए दान पत्र दिनांक 20.08.2016 को अवैध, शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवा पाने की कानूनी अधिकारिणी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 ता 7 ने जबाबदावा पेश कर अतिरिक्त कथन किया कि सायला के माता पिता, दादा दादी जीवित है जो उसके प्राकृतिक संरक्षक है। इसलिए सायला का नाना उसका संरक्षक नहीं है ना ही प्राकृतिक है व ना ही न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। सायला के पिता के जीवनकाल में सायला ऐसा दावा/दरख्वास्त करने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है। दानकर्ता श्री माईसुख की खुद की पैदाकर्दा खातेदारी को उसने जरिऐ दानपत्र अपने बेटो को दी है उनका उक्त खातेदारी पैदाकर्दा करने में सहयोग रहा है, इसलिए उनके दानपत्रों को सायला चूनौति देने की मजाज नहीं है। सायला ने उक्त वाद भूमि के सम्बन्ध में इन्ही तथ्यों एवं पक्षकारों के बीच दानपत्र को शुन्य अवैध व निस्प्रभावी घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अपर जिला न्यायाधीश

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) नोहर

भादरा के न्यायालय में एक वाद बअनुवानी मायावती बनाम माईसुख आदि प्रस्तुत कर रखा है, इसलिए सायला श्रीमानजी के न्यायालय में उसी वादभूमि के सम्बन्ध में दान पत्रों को अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने की अधिकारिणी नहीं है क्योंकि कानूनन एक ही प्रकृति के दो वाद विभिन्न न्यायालयों में समानान्तर नहीं चलाये जा सकते है।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि मायावती सुभाष की पुत्री व सुभाष ओमप्रकाश का पुत्र है व ओमप्रकाश माईसुख का पुत्र है। सुभाष व कविता का तलाक को चुका है। तलाकनामा में मायावती के भरणपोषण की जिम्मेदारी पिता के जिम्मे हो गई। बच्ची अभी नाना के पास रह रही है। दादा माईसुख ने एक दानपत्र पुत्रों व पौत्री मंजु के नाम 2016 में निस्पादित करवाया। दानपत्र करवाने का उद्देश्य मायावती को उसके हक हिस्सा से वंचित करना है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक सम्पति नहीं है। प्रतिवादीगण की खरीदशुदा सम्पति है जिसकी रजिस्ट्रीयां पेश की हुई है। खरीदशुदा भूमि पर क्रेता को पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। मायावती के पिता/दादा उसे अपने साथ रखना चाहते है। वादभूमि पैतृक है तो मूला की चार लडकियों का भी उसमें हक है। मूला की चारों लड़कियों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया पिता, दादा/दादी के होते हुए नाना संरक्षक नहीं हो सकता खरीदशुदा भूमि सहायिकी श्रेणी में नहीं आती है। वादी साबित करे कि सम्पति पैत्रक है। दावा ही प्रथम दृष्टया साबित नहीं है तो शेष दो बिन्दुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है। बैयनामा, दानपत्र सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमें अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दू 1 प्रथम दृष्टया मामला 2 सुविधा का सन्तुलन 3 अपूर्णीय क्षति पर विचार करना है।

प्रथम दृष्टया मामला :– हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी माईसुख के द्वारा वाद भूमि स्वअर्जित खारीद शुदा भूमि है। अप्रार्थी माईसुख के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 09.07.65 जैसा वल्द जीराम से पुराना खसरा 398 में 45 बीघा, खसरा सं0 54 में 19.16 बीघा कुल 64.16 बीघा भूमि खरीद की गयी थी एवं गुलाबसिंह पुत्र जीवणसिंह राजपूत से दिनांक 29.02.66 को जरिऐ बैयनामा खसरा सं0 201 की 18.11 बीघा व जेठाराम पुत्र बस्तीराम ने हाल खसरा सं0 158 की 15.03 बीघा भूमि दिनांक 02.09.85 को खारिज की गयी है। उक्त वाद भूमि खसरा मिलान के अनुसार नये खसरों में तस्दीक हो चुकी है जो वर्तमान में रोही मौजा मलसीसर खाता सं0 187/192 के खसरा सं0 20, 195, 239/1, 432, 443 व 821 की कुल 14.366 है0 तथा खाता सं0 261/268 के खसरा सं0 158, 384, 384/728 की कुल 7.778 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि उक्त वाद भूमि अप्रार्थी माईसुख की खरीद शुदा स्वअर्जित सम्पति है जिसे अप्रार्थी अपनी स्वअर्जित भूमि को विक्रय/दान या अन्य किसी भी दिगर तरीके से हस्तान्तरण करने का अधिकारी है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थीया यह साबित करने में असफल रही है कि वादभूमि पैत्रक दादालाई सम्पति है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं है।

सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू : हस्तगत प्रकरण में यह साबित हो चुका है कि वाद भूमि अप्रार्थी माईसुख की स्वअर्जित सम्पति है जिस पर प्रार्थीया को

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

कोई हक हिस्सा नहीं बनता है तो अपूर्णीय क्षति व सुविधा का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। वाद भूमि स्वअर्जित खरीदशुदा तथा दानपत्र से प्राप्त स्वअर्जित भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण को कानूनन अन्तरण करने का अधिकार है, इसलिए उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थीया ने माईसुख की चार पुत्रियों को दावा में पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया है, दावा के तथ्य छुपाकर एवं साफ हाथों (Clean hand) नहीं आया है।

अत : उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़